

फर्द अहकाम

सरकार

बनाम

जोषी

नाम न्यायालय

केस संख्या 5/2022

न्यायालय
केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>मे तहसीलदार जोषी के रिपोर्ट हेतु निर्या जाये। पत्रावली वाले बख्तपार रिपोर्ट हेतु दिनांक 21/7/22 को पेश हो। 882</p>	
	21/7/22	<p>इसाई ग आफिसर दौर/अपना पर है अतः अधिन कार्यवाही दिनांक 22/7/22 को पेश हो।</p>	
	27/7/22	<p>पत्रावली पेश है। मजालीजों के द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंतिम तहसीलदार जोषी के रिपोर्ट प्राप्त की गई। जो शामिल पत्रावली दिनांक 27/7/22 को पेश की गई। पत्रावली, तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बख्त पर मतन किया गया उम्मीद है तहसीलदार जोषी के द्वारा रिपोर्ट के अलावा बख्त पर पत्रावली में अंतिम खसरा नम्बर 461/2372 रकबा 0.05 है एवं खसरा नं 2693/461 रकबा 0.55 है का खातेदारों के द्वारा सधारी से विभाजन अर्थात् खसरा नं 2014/2693, 2018/461, 2015/2693, 2019/461, 2016/2003, 2020/461, 2017/2693 को पेश हो।</p>	



882
आदेश कारी
जवाब

फर्द अहकाम

सरकार बनाम गोपाल लाल व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 5/22

उठ फा अर्जात धारा 177 R.T.A.L

शिवर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>उक्त खण्ड नम्बरान के नोटे पर वीमान में छवि कर्म किया जाकर बाजरे की जमल करार की हुई है।</p> <p>उक्त तहसीलदार द्वारा राज ठाठ मधि 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत पेश किया गया बा. की उक्त खण्ड नम्बरान का उपयोग बिना सजाप स्वीहारी के अर्थात् अज्ञात में किया जा रहा है।</p> <p>परन्तु तहसीलदार चौध के रिपोर्ट दिनांक 20/07/22 व जवाब अज्ञात में वर्णित तथ्यों के अन्तर्गत अज्ञात कर्म पर अज्ञात के द्वारा छवि कर्म के अर्थात् उपयोग में नहीं किया जाकर नोटे पर बाजरे की जमल करार किए जाने से तहसीलदार चौध के द्वारा उत्तरा राज ठाठ मधि 1955 की धारा 177 का उक्त साबित नहीं होता है।</p> <p>जिससे तहसीलदार चौध द्वारा उत्तरा उठ फा अर्जात धारा 177 का शेष किया जाना प्राप्तिगत उचित होता है।</p> <p>अतः तहसीलदार चौध के द्वारा उत्तरा उठ फा राज ठाठ मधि 1955 की धारा 177 का शेष किया जाता है।</p> <p>साथ ही अज्ञात अज्ञात पर बिना सजाप स्वीहारी के अर्थात् अज्ञात</p>	

अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

श्रीमान
उपखण्ड
57
मार्च
साल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>को अहकाम उपभोग में नहीं लिखे जाये हेतु जाबन्द किया जाता है पत्रावली जेलखाने सुपाट होकर फर्द नम्बर से कल हो तथा वाकिल सुपाट हो।</p> <p>882</p> <p>उपखण्ड आधकारी श्री. कल्ला जयपुर</p>	